

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: प.1(15)/संस्था/रानिआ/94/पार्ट-5/9236

दिनांक: 23.9.26

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा- 2024 में चयनित 10 अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 3(1)प्र.सु./अनु-3/2024-07601 दिनांक 08.07.2026 द्वारा नियुक्ति हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को आवंटित किया गया है। उक्त चयन के क्रम में दस्तावेज सत्यापन में पात्र निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 1999 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (संशोधन वेतनमान) नियम 2017 के अन्तर्गत वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 11.12.2024 के प्रावधानों के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दो (02) वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) राशि रुपये 12,600/- प्रतिमाह पर निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन अस्थाई आधार पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

S. No.	RANK	ROLL NO.	CANDIDATE NAME	FATHER NAME	GENDER	DOB	Categ ory	Select Cat.
1.	165	2755028	RAHUL YADAV	SURESH YADAV	MALE	05-04-2003	OBC	GEN_ARD
2.	434	2896436	AKTHER ALI	ANWAR ALI	MALE	02-04-1999	OBC	GEN_ARD
3.	597	3027553	JAGDISH JAKHAR	SATPAL JAKHAR	MALE	01-01-2008	OBC	GEN_ARD
4.	3221	2998543	VANDANA GODARA	VIRENDRA SINGH	FEMALE	06-02-2001	OBC	GEN_ARD
5.	13334	3024371	NARENDRA SINGH	GHEWAR SINGH	MALE	05-02-1997	EWS	EWS_ARD
6.	13464	2615126	RAMESH CHOUDHARY	BHUNDA RAM	MALE	11-02-1996	OBC	OBC_ARD
7.	13514	2433558	BHERA RAM	BIRABAL RAM	MALE	09-02-2000	OBC	OBC_ARD
8.	14054	1301224	OM PRAKASH	HAJARI LAL	MALE	21-03-1994	SC	SC_ARD
9.	19039	1398921	BALRAM MEENA	JAMANA LAL MEENA	MALE	30-06-1995	ST	ST_ARD

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन की जा रही है:-

- अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) (संशोधन) नियम, 1999 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों व आदेशों के प्रावधानानुसार रहेगी।
- अभ्यर्थी को पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर में कार्यभार ग्रहण करना होगा। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 10 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए आयोग कार्यालय को लिखित में सूचित कर दें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण की दिनांक से मान्य होगी।

4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. परिवीक्षाकाल (Probation Period) अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक (fix remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
7. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार निर्धारित कटौतियाँ की जाएंगी।
8. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
9. परिवीक्षाकाल के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की पै मैट्रिक्स लेवल संख्या-02 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर भत्ते इत्यादि देय होंगे।
10. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें 01 कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा।
11. परिवीक्षाकाल में अन्य सुविधा या अवकाश राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
12. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 1905/2026, 4084/2026, 18091/2025 एवं माननीय न्यायालय में विचाराधीन उक्त भर्ती से सम्बन्धित विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।
13. उक्त नियुक्तियाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी/एससी/ओबीसी/एसबीसी/सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015, 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्य अवि. 2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा निर्देशों/सत्यापन के अध्याधीन अस्थाई रूप से रहेगी।
14. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त/त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। कार्यमुक्त/त्यागपत्र स्वीकृति आदेश प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कार्यग्रहण करवाया जाना संभव नहीं होगा।
15. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
16. राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्याधीन रहेगी।

17. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर देगी, साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से डिबार किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
18. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों/घोषणा पत्रों में मिथ्या सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी के सेवाकाल के दौरान कभी भी नियुक्ति निरस्त किये जाने की नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
19. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
20. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की रैंक सूची के आधार पर ही होगा।
21. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।



(राजेश वर्मा)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

दिनांक: 23.9.26

क्रमांक: प.1(15)/संस्था/रानिआ/94/पार्ट-5/9237-42

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज0, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग के पत्र क्रमांक प. 3(1)प्र.सु. /अनु-3/2024- 07601 दिनांक 08.07.2026 के क्रम में।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को सूचनार्थ।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित चयनित कार्मिक।
6. गार्ड फाईल।



(मूलचन्द लूणिया)

सहायक सचिव